रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263923
CG-DL-E-18062025-263923

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 343] | नई दिल्ली, सोमवार , जून 16, 2025/ज्येष्ठ 26, 1947 |
| No. 343] | NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2025/JYAISTHA 26, 1947 |


## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
## (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2025

**सा.का.नि. 386(अ).—** गैस सिलेंडर नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) के तारीख 16 दिसंबर, 2024 के सा.का.नि. सं. 771 (अ) की अधिसूचना के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- 2, धारा 3, खंड(i)में प्रकाशित किया गया था,जिसके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख16 दिसंबर, 2024 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त अवधि के भीतर जनता से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैस सिलेंडर नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गैस सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, -

(क) खंड (xli) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'(xliक) "सूक्ष्म और लघु उद्यम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ज) और खंड (ड) में परिभाषित उद्यम अभिप्रेत है;

(ख) खंड (xlvii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(xlviiक) "स्टार्टअप" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत हैजो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में रजिस्ट्रीकृत कोई इकाई है तथा समय-समय पर यथा संशोधित तारीख 19 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 127(अ)के पैरा 1 के खंड (क) में परिभाषितहै;

(ग) खंड (li) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(liक) "महिला उद्यमी" से किसी महिला के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उद्यम अभिप्रेत है, जिसकी पूंजी में उनकी न्यूनतम वित्तीय हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है।'

3. उक्त नियमों में, अनुसूची-V के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचीरखी जाएगी, अर्थात्-

**"अनुसूची - V**

**सभी शुल्क का भुगतान नियम 65 के उप-नियम (2) में निहित रीति से किया जाएगा**

**(नियम 3,12,28,35,47,49,50,53,54,55,59,61,62 और 65 देखें)**

**क. अनुज्ञप्ति शुल्क**

| क्र.सं. | अनुज्ञप्ति का प्ररूप | किस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई है | प्राधिकरण जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान करने कीशक्ति प्राप्त है | फीस | रुपए | सूक्ष्म और लघु उद्यमों एवं स्टार्टअप के लिए फीस(रुपए में) | महिला उद्यमियों के लिए फीस (रुपए में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | घ | संपीड़ित गैस से भरे या भरे जाने वाले सिलेंडरों का आयात करना, द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के लिए वाल्व और रेगूलेटरों | मुख्य नियंत्रक | प्रथम 100 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए | 2000/- | 1000/- | 400/- |
| | | | | 100 सिलेंडरों से अधिक किंतु 500 से अनधिक सिलेंडरों के लिए | 4000/- | 2000/- | 800/- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | का आयात करना। | | 500 से अधिक सिलेंडरों पर<br>प्रत्येक आवेदन हेतु वाल्व और<br>एलपीजी रेगुलेटरोंके आयात के लिए जांच फीस | 4000रु. प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए<br>1000 | 2000 रु. प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए<br>500 | 800 रु. प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए<br>200 |
| 2. | ङ | सिलेंडरों में संपीडित गैस भरने के लिए | मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक | संयंत्र में भरी जाने वाली प्रत्येक प्रकार की गैस के लिए अर्थात्,<br>(क) विषैली, (ख) अविषैली और अज्वलनशील;<br>(ग)अविषैली और ज्वलनशीलः<br>(घ) घुली हुई एसिटिलीन गैसः<br>(ङ) एल.पी.जी. को छोड़कर अविषैली और ज्वलनशील द्रवणीय गैस अथवा (च) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जैसा भी मामला हो। | 5000 | 2500 | 1000 |
| 3. | च | (क) भरण परिसर से संलग्न भण्डारण शेड में सिलेंडरों में संपीडित गैस के भंडारण के लिए | मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक | i.विषैली और ज्वलनशील गैसों के लिए (स्थायी और द्रवीकृत): | 2000 | 1000 | 400 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (ख) भरण परिसर से संलग्न के अतिरिक्त भंडारण शेड में सिलेंडरों में संपीडित गैस के भण्डारण के लिए | नियंत्रक | 100सिलेंडरों से अनधिक | | | |
| | | | | 100 सिलेंडरों से अधिक किंतु 500 से अनधिक | 4000 | 2000 | 800 |
| | | | | 500 सिलेंडरों से अधिक, | 4000/- रु. प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए | 2000 रु प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों याउसके किसी भाग के लिए | 800/- रु. प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए |
| | | | | (ii) अविषैली और अज्वलनशील गैसों के लिए (स्थायी और द्रवीकृत दोनों के लिए): | | | |
| | | | | 500 सिलेंडरों से अनधिक | 2000 | 1000 | 400 |
| | | | | 500सिलेंडरों से अधिक | 4000/- रु. प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए | 2000/- रु. प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए | 800/- रु. प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए |
| | | | | (iii)द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों के लिए: | | | |
| | | | | 100 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 500 कि.ग्रा. से अनधिक | 1000 | 500 | 200 |
| | | | | 500 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 2000 कि.ग्रा. से अनधिक | | | |
| | | | | 2000 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 5000 कि.ग्रा. से अनधिक | 2000 | 1000 | 400 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5000 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 10,000 कि.ग्रा. से अनधिक | 4000 | 2000 | 800 |
| | | | | 10,000 कि.ग्रा. से अधिक के लिए | 6000 | 3000 | 1200 |
| | | | | (v) घुली हुई स्थिति में सिलेंडरों में भरी एसिटिलीन गैस के लिए: | 2000/- रु.प्रत्येक अतिरिक्त 5000 कि.ग्रा. या उसके किसी भाग के लिए | 1000 रु प्रत्येक अतिरिक्त 5000 कि.ग्रा. या उसके किसी भाग के लिए | 400 रु प्रत्येक अतिरिक्त 5000 कि.ग्रा. या उसके किसी भाग के लिए |
| | | | | 200 सिलेडरों से अनधिक | 2000 | 1000 | 400 |
| | | | | 200 सिलेडरों से अधिक के लिए | 2000 रुप्रत्येक अतिरिक्त 200 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए | 1000/- रु. प्रत्येक अतिरिक्त 200 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए | 400/- रु. प्रत्येक अतिरिक्त 200 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए |
| 4. | छ | किसी मूल स्टेशन, उपस्टेशन या किसी सीएनजी ऑन लाइन स्टेशन से आटोमोटिव | मुख्य नियंत्रक | किसी मूल स्टेशन, उपस्टेशन या किसी सीएनजी ऑनलाइन स्टेशन से आटोमोटिव | 10,000 | 5000 | 2000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ईंधन के रूप में सीएनजी के वितरण के लिए | | ईंधन से रूप में सीएनजी के वितरण के लिए | | | |

**ख. अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अन्य फीस**

| क्र.सं. | प्रयोजन | फीस (प्रस्तावित) | रुपए (प्रस्तावित) | स्टार्टप सहित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए फीस (रु. में) | महिलाओं के लिए फीस (रु. में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | नियम 3 के उपनियम (1) के खंड ख के अधीन भरण अनुज्ञा जारी करना | प्रथम 100 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए जांच फीस। | 1000 | 500 | 200 |
| | | 100 सिलेंडरों से अधिक के लिए | 2000/- रु. प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए | 1000/- रु. प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए | 400/- रु. प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए |
| | | टिप्पणः भरे हुए सिलेंडरों के लिए लागू फीस और जिनका निर्यात किया जाना है, सिलेंडरों की संख्या चाहे कुछ भी हो, केवल जांच फीस | 1000 | 500 | 200 |
| 2. | नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन सिलेंडरया वाल्व या एलपीजी रेगुलेटरों के विनिर्माण के लिए अभिकल्पना का अनुमोदन | क. विनिर्माण इकाई अनुमोदन जारी करने के लिए, पहली बार के लिए एक वर्ष की विधिमान्यता फीस के साथ जांच फीस | 10000 | 5000 | 2000 |
| | | ख. नई अभिकल्पना के पश्चात्वर्ती अनुमोदन के लिए | 2000 | 1000 | 400 |
| | | ग. अभिकल्पना में किसी बदलाव के पश्चात्वर्ती अनुमोदन के लिए | 1000 | 500 | 200 |
| | | घ. सिलेंडर, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटरों के विनिर्माण | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | के एककों के नवीकरण लिए वार्षिक फीस | 2000 | 1000 | 400 |
| | उप नियम 3 (4) के अधीन विदेशी विनिर्माता द्वारा सिलेंडर, वाल्व, एलपीजी रेगुलेटर के विनिर्माण के लिए डिजाइन का अनुमोदन | क. विनिर्माण इकाई के लिए अनुमोदन जारी करने हेतु, पहली बार के लिए एक वर्ष की विधिमान्यता फीस के साथ जांच फीस<br>ख. नए डिजाइन के पश्चात्वर्ती अनुमोदन के लिए<br>ग. डिजाइन में किसी बदलाव के पश्चात्वर्ती अनुमोदन के लिए<br>घ. सिलेंडर, वाल्व और रेगुलेटरों के विनिर्माण इकाइयों के नवीकरण की वार्षिक फीस | 6,50,000<br>65,000<br>13,000<br>32,500 | 3,25,000<br>32,500<br>6,500<br>16,250 | 1,30,000<br>13,000<br>2,600<br>6,500 |
| 3. | नियम 28 के उपनियम (2) के अधीन सिलेंडरों का संपरिवर्तन | पहले 10 सिलेंडरो या उसके भाग के लिए जांच फीस<br>10 से अधिक सिलेंडरों के लिए | 400<br>1000 रु प्रत्येक 100सिलेंडरों के लिए | 200<br>500 रु प्रत्येक 100 सिलेंडरों के लिए | 80<br>200 रु प्रत्येक 100 सिलेंडरों के लिए |
| 4. | नियम 35 के अधीन सिलेंडर परीक्षण केंद्र का अनुमोदन तथा नियम 12 के अधीन वेल्डेड या ब्रेज्ड सिलेण्डरों का हॉट रेपेयर | पहली बार के लिए एक वर्ष के विधिमान्य फीस के साथ जांच फीस<br>सिलेंडर परीक्षण या हॉट रिपेयर अनुमोदन के लिए वार्षिक नवीकरण फीस | 10,000<br>2000 | 5,000<br>1000 | 2,000<br>400 |
| 5. | नियम 47 या नियम 53 के अधीन विनिर्दिशों या योजनाओं का पूर्व अनुमोदन | जांच फीस | 1000 | 500 | 200 |
| 6. | नियम 54 के अधीन अनुज्ञप्ति का संशोधन | जांच फीस | 1000 | 500 | 200 |
| 7. | नियम 61 के अधीन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करना | जांच फीस | 1000 | 500 | 200 |
| 8. | नियम 62 के अधीन अनुज्ञप्ति की | जांच फीस | 1000 | 500 | 200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | अधिप्रमाणित प्रति जारी करना | | | | |
| 9. | अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील के लिए, यदि ऐसी अपील केंद्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक को की जाती है, | जांच फीस | 1000 | 500 | 200 |

टिप्पण:- (1) इस अनुसूची में यथा उल्लिखित फीस में छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए, आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात:-

(क) सूक्ष्म और लघु उद्यम - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र:

परंतु, उपर्युक्त छूट, केवल सूक्ष्म और लघु उद्यम पर लागू होगी और यह मध्यम उद्यम पर लागू नहीं होगी।

*(ख) स्टार्टअप-* उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में रजिस्ट्रीकरण का दस्तावेजी साक्ष्य।

(ग) महिला उद्यमी-फर्म या कंपनी के स्वामी अथवा निदेशक का दस्तावेजी साक्ष्य।

2. ऐसे मामले में जहां, सूक्ष्म और लघु उद्यम या स्टार्टअप का स्वामित्व या नियंत्रण महिला द्वारा किया जाता है, तो वह फीस लागू होगी, जो उनमें से कम होगा।

परन्तु यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी, किसी भी स्तर पर गलत या भ्रामक पायी जाती है, तो ऐसे अनुमोदन या अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।"

[फा.सं.: पी-13033/92/2023-विस्फोटक]

डॉ.संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:**मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i)में अधिसूचना सं. 1081(अ), तारीख 22 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 189(अ)तारीख 27 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 231(अ)तारीख15 मार्च, 2018, सा.का.नि. 44 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2019, सा.का.नि. 44 (अ) तारीख 20 जनवरी, 2022 तथा सा.का.नि. 225 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 2025 द्वारा इसमें अं तिम बार संशोधन कियागया।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## (DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2025

**G.S.R. 386 (E).—** Whereas the draft of certain rules further to amend the Gas Cylinder Rules, 2016, were published, vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number, G.S.R. 771 (E), dated the 16th December, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 16th December, 2024;

And whereas no objection and suggestions received from the public within the said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gas Cylinders Rules, 2016, namely:-

1. Short titled and commencement- (1) These rules may be called the Gas Cylinders (Amendment) Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Gas Cylinders Rules, 2016 (herein after referred to as said rules), in rule 2,-

(a) after clause (xli), the following clauses shall be inserted namely:-

> ‘(xlia)“Micro and Small Enterprises” means an enterprise defined in clause (h) and clause (m) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006*;*

(b) after clause (xlvii), the following clause shall be inserted namely:-

> *(xlviia)* “Startup” means an entity registered with the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry and as defined in clause (a) of paragraph 1 of the Notification number G.S.R. 127(E), dated the 19th February, 2019, and as amended from time to time.

(c) after clause (li), the following clause shall be inserted namely:-

> *“(lia) “women entrepreneur” meansan enterprise owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 26 percent of the capital;”.*

3. In the said rules, for SCHEDULE-V the following SCHEDULE shall be substituted, namely:-

**"SCHEDULE- V**

**ALL THE FEES SHALL BE PAID IN THE MANNER PRESCRIBED IN SUB-RULE (2) OF RULE 65**

**(See rules 3,12,28,35,47,49,50,53,54,55,59,61,62 and 65)**

A. **LICENCE FEES**

| Sl. No. | Form of License | Purpose for which granted | Authority empowered to grant license | Fees | Rupees | Fees for Micro & Small Enterprises and Startup (in Rs.) | Fees for Women Entrepreneur (in Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | D | To import cylinder filled or intended to be filled with compressed gas to import valves and regulators for Liquefied petroleum gas (LPG) | Chief Controller | For the first 100 nos. cylinders or part thereof. | 2000 | 1000 | 400 |
| | | | | Exceeding 100 nos. but not exceeding 500 nos. cylinders. | 4000 | 2000 | 800 |
| | | | | Exceeding 500 nos. of cylinders | Rs. 4000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof. | Rs. 2000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof. | Rs. 800/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof. |
| | | | | Scrutiny fees for Import of Valves and LPG Regulators each application. | 1000 | 500 | 200 |
| 2. | E | To fill compressed gas in cylinders | Chief Controller or Controller | For each type of gas filled in the plant, namely (a) toxic, (b) non-toxic and non flammable, (c) non-toxic and flammable, (d) dissolved acetylene gas, (e) non-toxic and flammable liquefiable gas other than LPG or (f) liquefied petroleum gas, as the case may be. | 5000 | 2500 | 1000 |
| 3. | F | a. To store | Chief Controller or | i. For toxic and flammable gases (permanent as well as liquefied). | 2000 | 1000 | 400 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | compressed gas in cylinders in storage shed attached to the filling premises. | Controller | Not exceeding 100 nos. cylinders. | | | |
| | | | | Exceeding 100 nos. but not exceeding 500 nos. cylinders | 4000 | 2000 | 800 |
| | | b. To store compressed gas in cylinders in storage shed other than attached to the filling premises | Controller | Exceeding 500 nos. of cylinders, | Rs. 4000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof. | Rs. 2000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof. | Rs. 800/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof. |
| | | | | ii. For non-toxic and non-flammable gases (permanent as well as liquefied): Not exceeding 500 nos. of cylinders | 2000 | 1000 | 400 |
| | | | | Exceeding 500 nos. of cylinders, | Rs. 4000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof | Rs. 2000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof | Rs. 800/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof |
| | | | | iii. For liquefied petroleum gases: | | | |
| | | | | Exceeding 100 Kg. But not exceeding 500 kgs | 1000 | 500 | 200 |
| | | | | Exceeding 500 Kg. But not exceeding 2000 kgs | 2000 | 1000 | 400 |
| | | | | Exceeding 2000 Kg. But not exceeding 5000 kgs | 4000 | 2000 | 800 |
| | | | | Exceeding 5000 Kg. But not exceeding 10,000 Kgs | 6000 | 3000 | 1200 |
| | | | | Exceeding 10,000 Kg. | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | iv. For acetylene gas contained in cylinders in dissolved state<br>Not exceeding 200 cylinders<br>Exceeding 200 nos. of cylinders | Rs. 2000/- every additional 5000 Kg. or part thereof.<br>2000<br>Rs. 2000/- for every additional 200 nos. of cylinders or part thereof. | Rs. 1000/- every additional 5000 Kg. or part thereof.<br>1000<br>Rs. 1000/- for every additional 200 nos. of cylinders or part thereof. | Rs. 400/- every additional 5000 Kg. or part thereof.<br>400<br>Rs. 400/- for every additional 200 nos. of cylinders or part thereof. |
| 4. | G | To dispense CNG as automotive fuel from a mother station, daughter station or a CNG online station | Chief Controller | To dispense CNG as automotive fuel from a mother station, daughter station or a CNG online station | 10,000 | 5000 | 2000 |

**B. Fees other than License Fees**

| Sl. No. | Purpose | Fees | Rupees | Fees for Micro & Small Enterprises and Startup (in Rs) | Fees for Women (in Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Issue of filling permission under clause B of sub-rule (1) of rule 3 | Scrutiny fee for the first 100 nos. of cylinders or part thereof.<br>Exceeding 100 nos. of cylinders | 1000<br>Rs. 2000/- for every additional 500 cylinders or part thereof | 500<br>Rs. 1000/- for every additional 500 cylinders or part thereof | 200<br>Rs. 400/- for every additional 500 cylinders or part thereof |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Note : Fee applicable for the cylinders filled and meant for export purpose irrespective of the nos of cylinder, scrutiny fee Only | 1000 | 500 | 200 |
| 2. | Approval of design for manufacture of cylinder or valve or LPG regulators under sub-rule (3) of rule 3 | a. Scrutiny fee for grant of manufacturing unit approval, with one year validity fee for the first time<br>b. For subsequent approval of new design<br>c. For subsequent approval of any change in design<br>d. Annual fee for renewal of cylinder, valve and LPG, regulator manufacturing units. | 10,000<br>2000<br>1000<br>2000 | 5,000<br>1000<br>500<br>1000 | 2000<br>400<br>200<br>400 |
| | Approval of design for manufacture of cylinder, valve, LPG regulator under sub rule 3(4) by foreign manufacturer | a. Scrutiny fee for grant of approval for manufacturing unit with one year validity fee for the first time.<br>b. For subsequent approval of new design<br>c. For subsequent approval of any change in design<br>d. Annual fees for renewal of cylinders, valves and, regulators manufacturing units. | 6,50,000<br>65,000<br>13,000<br>32,500 | 3,25,000<br>32,500<br>6,500<br>16,250 | 1,30,000<br>13,000<br>2,600<br>6,500 |
| 3. | Conversion of cylinder under sub-rule (2) of rule 28 | Scrutiny fee for the first 10 nos. of cylinders or part thereof.<br>Exceeding 10 nos. of cylinders | 400<br>Rs. 1000/- for every 100 numbers of Cylinders | 200<br>Rs. 500/- for every 100 numbers of Cylinders | 80<br>Rs. 200/- for every 100 numbers of Cylinders |
| 4. | Approval of cylinder testing station under rule 35 and hot repair of welded or brazed cylinder under rule 12 | Scrutiny fee with one year validity fee for the first time.<br>Annual renewal fee for cylinder testing or hot repair approval. | 10,000<br>2000 | 5,000<br>1000 | 2000<br>400 |
| 5. | Prior approval of specifications and plans under rule 47 or 53 | Scrutiny fee | 1000 | 500 | 200 |
| 6. | Amendment of licence under rule 54 | Scrutiny fee | 1000 | 500 | 200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Issue of duplicate copy of licence under rule 61 | Scrutiny fee | 1000 | 500 | 200 |
| 8. | Issue of authenticated copy of licence under rule 62 | Scrutiny fee | 1000 | 500 | 200 |
| 9. | For appeal against order of a licensing authority if such appeal is preferred to central Govt. or Chief Controller | Scrutiny fee | 1000 | 500 | 200 |

Note.- (1) For the purpose of claiming relaxation in fees as mentioned in this SCHEDULE, the applicant shall submit the following documents, namely:-

(a) Micro and Small Enterprises - Certificate issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises:

Provided that, above said relaxation shall only be applicable to Micro and Small Enterprises and not for Medium Enterprises.

*(b) Startup*- Documentary evidence towards registration with *Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.*

(c) Women Entrepreneur - Documentary evidence towards Proprietor or Director of the firm or company.

(2.) Where Micro and Small Enterprises or Startup is *owned and controlled by a woman*, the fees whichever is lower shall be applicable:

Provided that if information submitted by the applicant, is found to be false or misleading at any stage, the approval or license shall be liable to be cancelled.".

[F. No: P-13033/92/2023-EXPLOSIVE]

DR. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the official Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number 1081(E) dated 22nd November, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 189(E) dated 27th February, 2018, G.S.R. 231(E) dated 15th March 2018, G.S.R. 44(E) dated 23rd January, 2019 and G.S.R. 44(E) dated 20th January 2022 and G.S.R. 225(E) dated 11th April, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.18 12:02:48 +05'30'